


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 342] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 1980/कार्तिक 9, 1902
No. 342] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1980/KARTIKA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1980

सा. का. नि. 616(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 85(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार इस अधिसूचना के द्वारा मोटर गाड़ी (संरक्षी दिश्राण) नियम, 1980 को रद्द करती है जो भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 261(अ.), दिनांक 14 मई, 1980 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में 14 मई, 1980 को प्रकाशित हुए थे।

[फाइल सं. टी डब्ल्यू/टी जी एम(25)/80-2]

असज्जत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1980

G.S.R. 616(E).—In exercise of the powers conferred by Section 85-A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby cancels the Motor Vehicles (Protective Headgears) Rules, 1980 published with the Notification of Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 261(E) dated 14th May, 1980, in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extra-Ordinary, on 14th May, 1980.

[F. No. TW/TGM(25)/80-(ii)]

YASHWANT SINHA, Jt. Secy.